

निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 252/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मैसर्स हीरो फिनकोर्प लि.

रजिस्टर पता-43, बसन्त लोक, बसन्त विहार, न्यू देहली, द्वारा अथोराईज्ड आफिसर, श्री कैलाश सैनी।
प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स पाटनी विल्डर्स प्रा. लि.
पता-प्लॉट नं. डी-38, फ्लैट नं. 303, एसडीसी, अशोक मिलवोर्न, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
2. श्री हेमन्त पाटनी डायरेक्टर मैसर्स पाटनी विल्डर्स प्रा. लि.
पता-प्लॉट नं. डी-38, फ्लैट नं. 303, एसडीसी, अशोक मिलवोर्न, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. श्रीमती प्रीति पाटनी
4. श्री जीतेन्द्र पाटनी
5. श्रीमती रूपाली पाटनी
6. श्री चेतन पाटनी
7. श्रीमती अपेक्षा पाटनी
8. श्री सुभाष पाटनी
9. श्रीमती मनोरमा पाटनी
पता पता-प्लॉट नं. डी-38, फ्लैट नं. 303, एसडीसी, अशोक मिलवोर्न, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।



आदेश

दिनांक 04.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.05.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रूपाली पाटनी, श्रीमती प्रीति पाटनी एवं श्रीमती अपेक्षा पाटनी के स्वामित्व की वाणिज्यिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 50 आदिनाथ सिटी, ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का मूण्डिया रामसर तहसील जयपुर क्षेत्रफल 1113.41 वर्गगज को बन्धक रख कर 72,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2016 को क्रम संख्या 68 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 72,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 70,97,352/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रूपाली पाटनी, श्रीमती प्रीति पाटनी एवं श्रीमती अपेक्षा पाटनी के स्वामित्व की सम्पत्ति वाणिज्यिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 50 आदिनाथ सिटी ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का मूण्डियारामसर तहसील जयपुर क्षेत्रफल 1113.41 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



4/1/21
 (अन्तर सिंह तेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर